... एवं उपखंड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या– 498/2024
वाद पत्र अंतर्गत धारा– 88 आर.टी.ए.

हरप्रीत कौर पत्नी स्व. श्री रूपिन्द्र सिहं जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी 12 एम.जे.डी. पिलानियांवाली ढ़ाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

-- वादीया

बनाम

1. कुलदीप कौर पत्नी श्री नायब सिहं जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी 12 एम.जे.डी. पिलानियांवाली ढ़ाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
2. बैंक आफ बड़ौदा शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

--प्रतिवादीगण

उपस्थित–
1. अनिल भोबिया– वकील वादी
2. श्री भीम पारीक – वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2
3. राज पैरोकार, तहसीलदार राजस्व संगरिया प्रतिवादी संख्या 3

निर्णय **दिनांक–** 10.9.2024

वादीगण ने यह वाद पत्र प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के खिलाफ बाबत अधिकारों की घोषणा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया के पति एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र स्व. श्री रूपिन्द्र सिहं के नाम से संगरिया तहसील के चक 14 एम.जे.डी. के खाता संख्या 98/26 जमाबंदी संवत 2070–2073 में 1.771 है. यानि 7 बीघा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त समस्त कृषि भूमि स्व. श्री रूपिन्द्र सिहं को अपने पिता से विरासतन प्राप्त है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वादीया के पति एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र का देहान्त होने के उपरांत हम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनों ही वारिस है इसलिये वादगस्त कृषि भूमि का हम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी के संबन्ध में घरेलू विभाजन हो चुका है। मुताबिक घरू विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को निम्न प्रकार से कषि भूमि प्राप्त हुई–

वादीया हरप्रीत कौर के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि –
संगरिया तहसील के चक 14 एम.जे.डी. के खाता संख्या 98/26 जमाबंदी संवत 2070–2073 में रूपिन्द्र सिहं के नाम से दर्ज 1.771 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.8855 है. कृषि भूमि ।

प्रतिवादीया संख्या 1 कुलदीप कौर के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि –
संगरिया तहसील के चक 14 एम.जे.डी. के खाता संख्या 98/26 जमाबंदी संवत 2070–2073 में रूपिन्द्र सिहं के नाम से दर्ज 1.771 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.8855 है. कृषि भूमि ।
हम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरू विभाजन में प्राप्त उक्त कृषि भूमि पर काबिज है तथा कब्जा काश्त बाबत किसी प्रकार का विवाद नहीं है। [illegible] उक्त कृषि भूमि मुझ वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने [illegible] का[illegible] वादीया मन लगाकर खेती नहीं कर पा रही है तथा राज्य सरकार द्वारा दी [illegible] वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रही हैं। इसलिये वादीया ने [illegible]वादी से निवेदन किया कि वह वादीया को घरू विभाजन में [illegible] अपने पति से प्राप्त कृषि भूमि का अच्छी–मंदी एवं उसके हक वा हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड [illegible] दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादीया कुछ दिन टालमटोल करती रही एवं गत सप्ताह बमुकाम संगरिया में ऐसा करने से स्पष्ट ईकार कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.11 17:08:22 IST
Reason: SelfAttested

लगातार – 2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार से रिपोर्ट आने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ने अपना जवाब दावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया जिसमें वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष को स्वीकार किया एवं अपना काउंटर क्लेम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 2 बैंक की और से बैंक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्रतिवादी संख्या 3 राज पैरोकार की तरफ से स्टेट जवाब पेश हुआ जिसमें राज्य हित को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वादी के अभिभाषक ने वाद पत्र में वर्णनानुसार, वाद पत्र को डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के अभिभाषक ने विरोध नहीं किया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 का काउंटर क्लेम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। दोनों पक्षों के अधिवक्तागण ने वाद पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों बाबत किसी प्रकार का विरोध सामने नहीं आया है, इसलिये तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं है एवं वाद पत्र डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद पत्र डिक्री किया जाता है कि **वादीया हरप्रीत कौर** संगरिया तहसील के चक 14 एम.जे.डी. के खाता संख्या 98/26 जमाबंदी संवत 2070-2073 में रूपिन्द्र सिहं के नाम से दर्ज 1.771 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.8855 है. कृषि भूमि की एवं **प्रतिवादीया संख्या 1 कुलदीप कौर** संगरिया तहसील के चक 14 एम.जे.डी. के खाता संख्या 98/26 जमाबंदी संवत 2070-2073 में रूपिन्द्र सिहं के नाम से दर्ज 1.771 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.8855 है. कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार है। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे। निज........X........मुबलिक.....X.......... बाबत.......X........ खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....X......... को अदा करे।

(राकेश कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
उपखंड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.11 17:08:22 IST
Reason: SelfAttested

डिकी बमुकदमें ईब्तदाई

अं.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रकिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या- 498/2024
वाद पत्र अंतर्गत धारा- 88 आर.टी.ए.

हरप्रीत कौर पत्नी स्व. श्री रूपिन्द्र सिहं जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी 12 एम.जे.डी. पिलानियांवाली ढ़ाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

-- वादीया

बनाम

1. कुलदीप कौर पत्नी श्री नायब सिहं जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी 12 एम.जे.डी. पिलानियांवाली ढ़ाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।
2. बैंक आफ बड़ौदा शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

-- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक- 10.9.2024

यह राजस्व मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री अनिल भोबिया वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री भीम पारीक प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की उपस्थिति में यह डिकी दी जाती है कि - **वादीया हरप्रीत कौर** संगरिया तहसील के चक 14 एम.जे.डी. के खाता संख्या 98/26 जमाबंदी संवत 2070-2073 में रूपिन्द्र सिहं के नाम से दर्ज 1.771 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.8855 है. कृषि भूमि की एवं **प्रतिवादीया संख्या 1 कुलदीप कौर** संगरिया तहसील के चक 14 एम.जे.डी. के खाता संख्या 98/26 जमाबंदी संवत 2070-2073 में रूपिन्द्र सिहं के नाम से दर्ज 1.771 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.8855 है. कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार है। उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे।

निज......X......मुबलिक......X...... बाबत......X...... खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ......X...... को अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक ......10.9.2024......को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखंड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.11 17:08:22 IST
Reason: SelfAttested